प्रथम प्रत्योत्तरदाता लेखपालों के आपदा प्रबन्धन क्षमता संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय पांच दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

मॉड्यूल
Module

सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उ०प्र०।
राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, उ०प्र०।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

:– मार्गदर्शक मण्डल :–

- श्री के0के0 सिन्हा, आई.ए.एस.(से.नि.), पूर्व अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उ0प्र0
- श्री बी. पी. सिंह, आई.पी.एस.(से.नि.), पूर्व पुलिस महानिदेशक अधिष्ठान, वर्तमान सदस्य, रेरा, उ0प्र0
- श्री संजय आर. भूसरेड्डी, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, चीनी एवं गन्ना विभाग, उ0प्र0
- श्री आर0के0 पाण्डेय, आई.ए.एस., निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0
- श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप निदेशक(से.नि.),,नेशनल फेसिलेटेटर, डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार

:– संकलनकर्ता एवं सहयोगी सदस्य :–

- डॉ0 एस0 के0 सिंह, सहायक निदेशक, एस0आई0आर0डी0
- श्री मनीष चन्द्रा, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 मजहर रशीदी, प्रिंसिपल ट्रेनर, एस.डी.एम.ए., उ0प्र0
- श्री जी0के0 तिवारी, संकाय सदस्य, एस0आई0आर0डी0
- श्री हेमेन्द्र शर्मा, संकाय सदस्य, एस0आई0आर0डी0
- श्री कुमार दीपक, सलाहकार, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 अवधेश कुमार गंगवार, सलाहकार, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 नवीन कुमार सिन्हा, एस0आई0आर0डी0

प्रथम प्रत्योत्तरदाता लेखपालों के आपदा प्रबन्धन क्षमता संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय पांच दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

माड्यूल

—: संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन :—

अनुराग श्रीवास्तव

आई.ए.एस.

महानिदेशक

—: विकसितकर्ता एवं सम्पादक :—

डॉ. डी. सी. उपाध्याय

अपर निदेशक

बी. डी. चौधरी

उप निदेशक

—: प्रायोजक :—

सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उ0प्र0

राज्य आपदा प्रबन्ध, प्राधिकरण, उ0प्र0

—: आयोजक :—

आपदा प्रबन्धन केन्द्र

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ– 226 202

E-mail: ddusird-up@nic.in ; Website : www.sirdup.in

सम्पादक की कलम से....

आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम में प्रशिक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी कड़ी में संस्थान एवं सचिव राजस्व/राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन के सहयोग से प्रदेश में आपदा प्रबन्धन हेतु प्रथम प्रत्योत्तरदाता (लेखपालों) के क्षमता संवर्द्धन हेतु राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसकी महत्ता के दृष्टिगत् लेखपालों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल आपदा प्रबन्धन केन्द्र के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में संस्थान द्वारा 15 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं 75 जनपदों में 474 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रमों का प्रभावी सम्पादन एवं प्रशिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल प्रकाशित किया जा रहा है, जो राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संचालन में वार्ताकारों एवं संचालक मण्डल के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले टी0ओ0टी0 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग कर किए जाने से कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ेगी।

(डॉ. डी.सी. उपाध्याय)
अपर निदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

अनुक्रमणिका

सत्र	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रथम दिवस	
1	प्रशिक्षण का उद्घाटन एवं स्वागत सम्बोधन तथा परिचय, अपेक्षा एवं कार्यक्रम की रूपरेखा	1
2	आपदा प्रबन्धन के सामान्य अवधारणायें, देश एवं राज्य सम्बन्धित संवेदनशीलता	2
3	आपदा के प्रकार, क्या करें? क्या न करें? बाढ़ पूर्व, दौरान एवं पश्चात्–एक चर्चा	3
4	आपदा प्रबन्धन एक्ट, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन	4
5	एच आर वी सी विश्लेषण की अवधारणा एच आर वी सी विश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपकरण/तकनीक	5
6	प्रथम प्रत्योत्तरदाता लेखपाल की आपदा प्रबन्धन में भूमिका	6
	द्वितीय दिवस	
1	सूखा के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका	7
2	अग्नि आपदा प्रबन्धन विषय में विशेष प्रशिक्षण	8
3	भूकम्प के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका	9
4	प्रशिक्षण के कौशल ज्ञान एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण	10
5	नेतृत्व विकास में कुशल प्रशिक्षक के गुणों पर चर्चाएं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मानक	11
	तृतीय दिवस	
1	आपदा प्रबन्धन में राज्य सरकार के विभागों का समन्वय, मीडिया, जन प्रतिनिधियों से समन्वय सम्बन्धी विशेष व्यवहारिक ज्ञान	12
2	आपदा प्रबन्धन में सम्बन्धित विभागों की भूमिका	13
3	आपदा में प्राथमिक चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण	14
4	प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बुलेंस, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं मॉकड्रिल	15
5	राज्य आपदा मोचक निधि एव राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि, निर्माण, प्रक्रिया एवं व्यवहारिक ज्ञान पर चर्चा, अंकेक्षण हेतु निर्देश	16
6	आपदा में खोज एवं बचाव, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं मॉकड्रिल	17

सत्र	विषय	पृष्ठ संख्या
	चतुर्थ दिवस	
1	आपदा के उपरान्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक विषय पर विशेष प्रशिक्षण	18
2	समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण, ग्राम आपदा प्रबन्धन के विभिन्न कार्यदल निर्माण पर चर्चा	19
3	पी0आर0ए0 / पी0एल0ए0 / समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन	20
4	क्षेत्र भ्रमण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना का प्रायोगिक निर्माण	21
	पंचम दिवस	
1	जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हेतु सावधानियों के मापदण्ड, अपशिष्ट प्रबन्धन)	22
2	आपदा प्रबन्धन में सैण्डई फ्रेमवर्क एवं जेण्डर इश्यूज़	23
3	दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली (आई0आर0एस0), भीड़, भगदड़ नियन्त्रण प्रबन्धन, मानव जनित आपदाओं, आधुनिक आपदाओं के परिक्षेत्र में विस्तृत चर्चा	24
4	जी0 आई0 एस0, आई0 डी0 आर0 एन0 की आपदा प्रबन्धन में भूमिका	25
5	समूह प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण ज्ञान का आंकलन, प्रशिक्षणकर्ता के उद्गार	26
6	फीडबैक, मूल्यांकन एवं सत्र समापन	27
	अनुलग्नक : प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण	28–29

प्रथम दिवस - प्रथम सत्र

प्रशिक्षण का उद्घाटन एवं स्वागत सम्बोधन तथा परिचय, अपेक्षा एवं कार्यक्रम की रूपरेखा

उद्देश्य– सत्र के अंत में प्रतिभागी,

- एक दूसरे के बारे में समझ सकेंगे।
- अपेक्षाओं के अनुरूप रूपरेखा का निर्धारण हो सकेगा।
- पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में लोगों की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी ले सकेंगे।

समय– 90 मिनट

पद्धति–

- भाषण
- कार्ड का प्रयोग
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रक्रिया–

- संस्थान द्वारा आमंत्रित अतिथि द्वारा सत्र का उद्घाटन एवं उद्बोधन।
- प्रतिभागियों का आपसी परिचय सत्र का निम्न बिन्दुओं के अनुसार परिचय देने हेतु आमंत्रित करें–नाम, पदनाम, विभाग का नाम, जनपद का नाम, कार्यानुभव, कोई खास अनुभव जो प्रशिक्षण में आते समय महसूस किया हो।
- कार्ड का वितरण एवं एक–एक अपेक्षाएं एक कार्ड पर लिखने के लिए निर्देशित करें।
- कार्ड के डाटा का संचालन एवं संक्षेपण करें।
- अपेक्षाओं के अनुरूप पाँच दिवसीय सत्र का प्रस्तुतिकरण।

सत्र परिणाम–

- प्रतिभागी एक दूसरे से परिचित हो जायेंगे।
- प्रशिक्षण के उद्देश्य की जानकारी होगी।
- पाँच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें–

- अपेक्षाओं के अनुरूप विषय वस्तु को समय–सारिणी से जोड़ते हुए प्रस्तुत करना व संक्षेपण करना।
- प्रतिभागियों के अनुभव को सुनते समय सकारात्मक वातावरण बनाये रखने के लिए प्रतिभागियों से सामंजस्य बनाये रखे।
- प्रतिभागियों की भावनाओं का सम्मान करना।
- उद्घाटन सत्र का संचालन निर्धारित समय के अंदर सम्पन्न करना।

प्रथम दिवस - द्वितीय सत्र

आपदा प्रबन्धन के सामान्य अवधारणायें, देश एवं राज्य सम्बन्धित संवेदनशीलता

उद्देश्य– सत्र के अंत में प्रतिभागी,

- आपदा की अवधारणाओं को परिभाषित कर पायेंगे।
- भारत एवं राज्य की संवेदनशीलता के स्वरूप की व्याख्या कर पायेंगे।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।

समय– 60 मिनट

पद्धति–

- भाषण
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रक्रिया–

- सत्र के आरंभ में सुगमकर्ता द्वारा एक कार्ड वितरण किया जायेगा तथा उस कार्ड पर प्रत्येक प्रतिभागियों को आपदा क्या है, के बारे में लिखने को कहा जायेगा। जिसके लिए पाँच मिनट का समय दिया जायेगा।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण द्वारा विषय वस्तु की जानकारी सुगमकर्ता/वक्ता द्वारा दी जायेगी, जो दस मिनट से पन्द्रह मिनट का होगा।
- समूह चर्चा के द्वारा प्रतिभागियों को वास्तविक परिभाषा एवं आपदा के प्रकार के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी तो उन्हें सुगमकर्ता/वक्ता के द्वारा स्पष्ट किया जायेगा। सुगमकर्ता/वक्ता के द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद अपने–अपने कागज एवं कार्ड में अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने हेतु पाँच मिनट प्रदान किया जायेगा।
- सुगमकर्ता/वक्ता को इसके उपरान्त प्रतिभागियों से अपने–अपने जिला में संवेदनशील आपदाओं के बारे में पूछा जायेगा।

सत्र परिणाम–इस सत्र के अंत में प्रतिभागी

- आपदा प्रबन्धन की अवधारणाओं से अवगत हो सकेंगे।
- भारत की संवेदनशीलता की स्थिति से अवगत हो सकेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें–

- सुगमकर्ता को प्रत्येक प्रतिभागी से उसके आपदा सम्बन्धित ज्ञान का स्तर जानते हुए उसकी समझ को स्थापित मापदण्ड में लाने के प्रयास करने चाहिए।
- सुगमकर्ता को प्रतिभागियों के अपने–अपने जिलों से सम्बन्धित आपदा की संवेदनशीलता को भी जानने में विचार–विमर्श के माध्यम से मदद करनी चाहिए।

प्रथम दिवस - तृतीय सत्र

आपदा के प्रकार, क्या करें? क्या न करें? बाढ़ पूर्व, दौरान एवं पश्चात्–एक चर्चा

उद्देश्य– सत्र के अंत में प्रतिभागी,

- आपदा के प्रकार यथा प्राकृतिक एवं मानव जनित के विषय में जानकारी से अवगत हो पायेंगे।
- आपदा के दौरान क्या करें? क्या न करें? को आपदा के साथ–साथ समझ पायेंगे।

समय– 60 मिनट

पद्धति–

- भाषण
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रक्रिया–

- सत्र के आरंभ में सुगमकर्ता एक–एक द्वारा एक कार्ड वितरण किया जायेगा तथा उस कार्ड पर प्रत्येक प्रतिभागियों को आपदा क्या है, के बारे में लिखने को कहा जायेगा। जिसके लिए पाँच मिनट का समय दिया जायेगा।
- कार्ड को प्रतिभागियों से प्राप्त कर पुनः ए–4 साइज का एक सादा कागज दिया जायेगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में लिखने को कहा जायेगा तथा उसका वर्गीकरण प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवजनित आपदाओं में करने को भी कहा जायेगा। इसके लिए उन्हें पाँच मिनट का समय दिया जायेगा।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण द्वारा विषय वस्तु की जानकारी सुगमकर्ता/वक्ता द्वारा दी जायेगी, जो दस मिनट से पन्द्रह मिनट का होगा।
- समूह चर्चा के द्वारा प्रतिभागियों से विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करे एवं क्या न करें को स्पष्ट और सटीक किया जायेगा।

सत्र परिणाम–इस सत्र के अंत में प्रतिभागी

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं से अवगत हो सकेंगे।
- आपदा के समय क्या करें क्या न करे से भी अवगत होंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें–

- सुगमकर्ता को प्रत्येक प्रतिभागियों से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विषय में उनकी समझ को जान पायेगा एवं समूह चर्चा से उनके ज्ञान का वर्धन करेगा। ध्यान रहे कि प्रत्येक प्रतिभागी निःसंकोच भाव से अपनी जानकारी को व्यक्त करे।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों से आपदा के दौरान क्या करें क्या न करें को बेहतर एवं वैज्ञानिक बनाने का कार्य करेगा। सुगमकर्ता सावधानीपूर्वक सभी प्रकार की आपदाओं के विषय में उनसे होने वाले नुकसान के चर्चा के बाद क्या करें क्या न करें को सुरूचिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करे, इसका ध्यान दें।

प्रथम दिवस - चतुर्थ सत्र

आपदा प्रबन्धन एक्ट, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) के कार्य से अवगत हो सकेंगे।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य से अवगत हो सकेंगे।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य में राज्य की पहल क्या है से अवगत हो सकेंगे।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य, इसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अवगत हो सकेंगे।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रबन्ध समिति की बैठक का समय एवं एजेण्डा के बारे में अवगत हो सकेंगे।

समय :–60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- सत्र के आरम्भ में सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से यह पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं जो आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (राष्ट्रीय व राज्य) के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद जिन–जिन जनपदों में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन हो चुका है वहां के प्रतिभागी से इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया जायेगा।
- पावर प्वाइंट द्वारा विषय–वस्तु का प्रस्तुतिकरण।
- सुगमकर्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन केन्द्र व जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र के गठन, उद्देश्य, भूमिका व उत्तरदायित्व से अवगत कराना।

सत्र परिणाम :–

- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन, उद्देश्य, भूमिका व उत्तरदायित्व से अवगत हो सकेंगे।
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के स्थायी समिति सदस्यों द्वारा कराये जाने वाली बैठक की समय सारिणी व एजेण्डा के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्रतिभागियों से उनकी यदि कोई भूमिका जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में रही हो तो सामूहिक चर्चा करना।
- प्रतिभागियों के अनुभव का सम्मान करते हुए अन्य प्रतिभागियों को उस अनुभव से अवगत कराना।
- सत्र के अन्त में कम से कम 10 मिनट का प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान करना।

प्रथम दिवस - पंचम सत्र

एच.आर.वी.सी विश्लेषण की अवधारणा एच आर वी सी विश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपकरण/तकनीक

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- एच आर वी सी के खतरा या प्रकोप (Hazard), जोखिम (Risk), संवेदनशीलता (Vulnerability) एवं क्षमता (Capacity) को समझने में सक्षम होंगे।
- जोखिम या खतरा न्यूनीकरण (Risk Reduction) को भी समझने में सक्षम होंगे।
- प्रतिभागी यह भी जान पायेंगे कि किस तरह से क्षमता की वृद्धि आपदा के प्रभाव को कम करती है तथा किस प्रकार खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।
- उ0प्र0 की संवेदनशीलता को स्वरूप को समझ सकेंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- चर्चा की शुरूआत समूह चर्चा से होगी जिसमें प्रतिभागियों को अपने–अपने जनपद से सम्बन्धित संवेदनशीलता एवं क्षमता से सम्बन्धित बातें पूछी जायेंगी।
- पावर प्वाइंट द्वारा विषय–वस्तु का प्रस्तुतिकरण।
- समूह चर्चा प्रस्तुतिकरण के बाद पुनः किया जायेगा जिससे यह पता चलेगा कि प्रतिभागियों में क्या क्षमता विकास हुआ है।

सत्र परिणाम :– इस सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- विभिन्न आपदाओं से संवेदनशीलता एवं क्षमता के संवर्द्धन से क्षति में कमी से अवगत होंगे।
- राज्यों की आपदा संवेदनशीलता से अवगत हो सकेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्रतिभागियों से सम्बन्धित जनपदों के आपदा संवेदनशीलता पर चर्चा करते हुए राज्य आपदा संवेदनशीलता का निष्कर्ष निकालना।
- सत्र के अन्त में प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों से सामूहिक चर्चा करना।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान चर्चा को रोचक बनाये रखें।
- सत्र के अन्त में कम से कम 10 मिनट का प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान करना।

प्रथम दिवस - षष्ठम सत्र

प्रथम प्रत्योत्तरदाता एवं ग्राम आपदा प्रबंधन योजना क्या है? हमें ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता क्यों है? कौन इसे विकसित कर सकता है? प्रथम प्रत्योत्तरदाता (लेखपाल) की भूमिका

उद्देश्य :— सत्र के अन्त में प्रतिभागी —

- प्रतिभागी का ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के विषय में ज्ञानवर्धन।
- प्रतिभागी लेखपालों की आपदा प्रबन्धन में प्रथम प्रत्योत्तरदाता के रूप में जिम्मेदारी के प्रति ज्ञान अर्जित करेंगे।
- समूह चर्चा के माध्यम से ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना एवं लेखपालों की भूमिका आपदा के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् समझ पायेंगे।

समय :— 60 मिनट

पद्धति :—

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :—

- चर्चा की शुरूआत समूह चर्चा से होगी जिसमें प्रतिभागियों को अपने—अपने जनपद में आपदा प्रबन्धन के ग्रामीण क्षेत्र में किए गये कार्यों के विषय में बताएंगे।
- ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण के विभिन्न आयामों को जान पाएंगे तथा आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात् क्षति की कमी एवं जवाबी कार्यवाही के क्षेत्र में लेखपालों की भूमिका के विषय में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
- समूह चर्चा प्रस्तुतिकरण के बाद पुनः किया जायेगा जिससे यह पता चलेगा कि प्रतिभागियों में क्या क्षमता विकास हुआ है।

सत्र परिणाम :—इस सत्र के अन्त में प्रतिभागी —

- विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना के विभिन्न पहलू एवं क्षमता का संवर्द्धन।
- लेखपालों जिन्हें प्रथम प्रत्योत्तरदाता के रूप में चिंहित किया जा सकता है, की भूमिकाओं पर चर्चा एवं क्षमता संवर्द्धन।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :—

- प्रतिभागियों से सम्बन्धित जनपदों में आपदा प्रबन्धन हेतु ग्रामीण स्तर पर किए गये कार्यों के विषय में चर्चा सुरूचिपूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि सभी प्रतिभागी अपने—अपने जनपद सम्बन्धित बातों को प्रस्तुत कर सकें।
- प्रतिभागियों को पूर्व में लेखपालों से लिए गये कार्यों के विषय में चर्चा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि एक सर्व सम्मति से लेखपाल की आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात् निभाई जाने वाली भूमिका की विवेचना की जा सके और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।
- सत्र के अन्त में प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों से सामूहिक चर्चा करना।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान चर्चा को रोचक बनाये रखें।
- सत्र के अन्त में कम से कम 10 मिनट का प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान करना।

द्वितीय दिवस - प्रथम सत्र

सूखा के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- सूखा आपदा के विषय में राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर प्रभाव के विषय में अवगत कराना।
- सूखा घोषित करने हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए मापदंडों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- सूखा से निपटने हेतु उपाय से सम्बन्धित चर्चा।
- सूखा के समय क्या करें क्या न करें पर चर्चा।
- सूखा के समय खेती के लिए उपयुक्त बीजों के विषय में भी जानकारी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराना ताकि उनके द्वारा जिला स्तर पर लेखपालों को सूखा सम्बन्धी आपदा के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने को तैयार करना।

समय :– 30 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- सत्र के आरम्भ में सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से यह पूछा जाएगा कि जनपद स्तर पर किस–किस वर्ष सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हुयी। इस पर प्रतिभागियों की अपनी समझ को आंकते हुए प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए पावर प्वाइंट प्रजेंटेसन एवं लेखन बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए।
- पावर प्वाइंट द्वारा विषय–वस्तु का प्रस्तुतिकरण।
- सुगमकर्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सूखा क्षेत्र की विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी सूखा आपदा के विभिन्न पहलू से परिचित होंगे।
- प्रतिभागी सूखा घोषित करने के सरकारी मापदण्ड को जानने में सक्षम होंगे।
- सूखा से निपटने हेतु विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रयासों से परिचित होंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्रतिभागियों से उनके खुद के अनुभवों को विचार–विमर्श के दौरान जानने की कोशिश करना चाहिए ताकि उनके ज्ञान स्तर को देखते हुए प्रशिक्षण को उनके अनुरूप ढाला जाने का प्रयास सुगमकर्ता को करना चाहिए।
- प्रतिभागियों के अनुभव का सम्मान करते हुए अन्य प्रतिभागियों को उस अनुभव से अवगत कराना।
- सत्र के अन्त में कम से कम 10 मिनट का प्रश्न उत्तर का समय देकर प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान करना।

द्वितीय दिवस - द्वितीय सत्र

अग्नि आपदा प्रबन्धन विषय में विशेष प्रशिक्षण

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में –

- प्रतिभागी विभिन्न तरह की आग लगने के प्रकार के बारे में जानकारी व उससे बचाव के तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- आग के प्रकार के बारे में चर्चा।
- उसे बुझाने के उपाय एवं बरतने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग की जानकारी प्रदान करना।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी आग के विभिन्न प्रकार एवं उसके शमन के तरीकों एवं उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- आग के प्रकार के सैद्वान्तिक वार्ता दी जाये।
- प्रतिभागियों को अपने जीवन में घटित आग आपदा सम्बन्धी कोई अनुभव हो तो उसे चर्चा में लाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों की आग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो।
- विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग की व्यवहारिक जानकारी दी जाये।
- अग्नि शमन के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाये।

द्वितीय दिवस - तृतीय सत्र

भूकम्प के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में –

- प्रतिभागी भूकम्प के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूकम्प आने के विभिन्न कारणों के विषय में जानकारी हासिल कर पायेंगे।
- संभावित भूकम्प से संवेदनशील जनपदों को संवेदनशीलता जोन/पैमाने के हिसाब से जान सकें।
- भूकम्प के दौरान क्या करें क्या न करें के विषय में जानकारी हासिल कर पायें।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- भूकम्प आने के कारण पर चर्चा।
- भूकम्प के दौरान क्या करें और क्या न करें पर चर्चा।
- भूकम्प रोधी भवन निर्माण विधि पर चर्चा।
- भूकम्प की संवेदनशीलता का जोन पर चर्चा एवं अपना जनपद चिंहित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी भूकम्प के प्रति संवेदनशील होंगे। अपने जनपद के भूकम्प जोन के विषय में जानकारी हासिल होगी।
- भूकम्प की स्थिति में क्या करें क्या न करें से परिचित होंगे।
- किसी भी भवन निर्माण में भूकम्प रोधी तकनीक के उपयोग के विषय में जानकारी हासिल करेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- भूकम्प के विषय में प्रशिक्षण के दौरान सुगमकर्ता को सर्वप्रथम प्रतिभागियों की भूकम्प के प्रति जानकारी परिस्थितियों के अनुरूप उनके प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न पूंछकर एवं जवाब सुनकर यह पता लगा लेना चाहिए कि भूकम्प के प्रति प्रतिभागियों की क्या ज्ञान क्षमता है तथा उसी हिसाब से अपने प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए।
- प्रतिभागियों को अपने जीवन में घटित भूकम्प आपदा सम्बन्धी कोई अनुभव हो तो उसे चर्चा में लाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों का भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो।

द्वितीय दिवस - चतुर्थ सत्र

प्रशिक्षण के कौशल ज्ञान एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में –

- ➢ प्रतिभागी के प्रशिक्षण कौशल ज्ञान का संवर्द्धन।
- ➢ प्रशिक्षण की सुव्यवस्थित प्रणाली का ज्ञान।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- ➢ पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- ➢ चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- ➢ प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण के विभिन्न विधियों के विषय में जानकारी एवं उन पर चर्चा।
- ➢ सुगमकर्ता को पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण के विभिन्न तकनीकियों के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु प्रयास।
- ➢ समूह चर्चा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण पर एक विचार–विमर्श एवं प्रश्न–उत्तर सत्र का आयोजन।

सत्र परिणाम :–

- ➢ प्रतिभागी एक अच्छे प्रशिक्षक के रूप में परिवर्तित होंगे ताकि प्रशिक्षण को उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
- ➢ प्रशिक्षण से प्रतिभागी के द्वारा एक अच्छे प्रशिक्षक के तकनीकी ज्ञान का संवर्द्धन।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- ➢ प्रशिक्षण के विषय में विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से सुगमकर्ता को पूरे धैर्य से प्रशिक्षण को दो तरफा रखते हुए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की विधा से परिचित रखना। प्रशिक्षण के विभिन्न तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग व्यवहारिक रूप से उदाहरण स्वरूप दिए जाने से प्रशिक्षण प्रभावपूर्ण हो सकेगा।

द्वितीय दिवस - पंचम सत्र

नेतृत्व विकास में कुशल प्रशिक्षक के गुणों पर चर्चा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मानक

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में –

- प्रतिभागी को एक अच्छा कुशल प्रशिक्षक बनाना।
- प्रशिक्षण देने की कला कौशल का विकास।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मापदण्ड विकसित करना।
- प्रशिक्षक के रूप में व्यक्तित्व विकास।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- प्रशिक्षण के माध्यम से एक अच्छे प्रशिक्षक के गुण विकसित करने हेतु वांछित ज्ञान के संवर्द्धन के लिए सर्वप्रथम प्रतिभागियों से एक अच्छे प्रशिक्षक का गुण पूंछना एवं उसे बोर्ड पर लिखना। इसके बाद उस पर चर्चा।
- सुगमकर्ता को पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण के विभिन्न तकनीकियों के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु प्रयास।
- समूह चर्चा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण पर एक विचार–विमर्ष एवं प्रश्न–उत्तर सत्र का आयोजन।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी एक अच्छे प्रशिक्षक के रूप में परिवर्तित होंगे ताकि प्रशिक्षण को उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
- प्रशिक्षण से प्रतिभागी के द्वारा एक अच्छे प्रशिक्षक के तकनीकी ज्ञान का संवर्द्धन।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्रशिक्षण के विषय में विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से सुगमकर्ता को पूरे धैर्य से एक–एक प्रतिभागी के नेतृत्व क्षमता को समझते हुए प्रशिक्षण को इस तरह ढालना चाहिए कि एक अच्छा प्रशिक्षक तैयार हो सके।
- प्रशिक्षण के विभिन्न तकनीकी ज्ञान को उदाहरण स्वरूप बताने से प्रतिभागी बेहतर समझ के साथ निपुण हो सकेगा।

तृतीय दिवस - प्रथम सत्र

आपदा प्रबन्धन में राज्य सरकार के विभागों का समन्वय, मीडिया, जन प्रतिनिधियों से समन्वय सम्बन्धी विषेश व्यवहारिक ज्ञान

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में –

- प्रतिभागी को मीडिया एवं जन प्रतिनिधि से समन्वय सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- प्रतिभागियों को आपदा के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् समाज में दिए जाने वाले संवाद का मीडिया के माध्यम से समुचित प्रेषण की विधा।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को जनपद स्तर पर आपदा के पश्चात् होने वाले क्षति संबंधी संवादों को सही प्रेषण में मीडिया की भूमिका तथा संवादों के प्रेषण संबंधी अधिकृत व्यक्तियों के विषय में चर्चा।
- जिला स्तर पर निर्धारित सूचना तंत्र एवं उसका समुचित उपयोग सक्षम पदाधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त संवादों का संप्रेषण संबंधी विचार–विमर्श।
- जन प्रतिनिधि के अधिकार से संबंधित विभिन्न संवैधानिक दायित्व स्वरूप कार्य करने संबंधी विचार–विमर्श।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी की संवेदनशीलता मीडिया एवं जन प्रतिनिधि के प्रति बढ़ेगी।
- आपदा के दौरान सरकार के अच्छे कार्यों के मीडिया के माध्यम से संप्रेषण मे प्रतिभागियों का सहयोग एवं व्यक्तित्व विकास।
- विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण की कला का विकास।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मीडिया एवं जनप्रतिनिधि के कुछ उदाहरण देते हुए प्रतिभागियों को अपने–अपने अनुभवों को प्रशिक्षण सत्र में रखने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सुगमकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभागियों द्वारा कोई भी ऐसी बात न बोली जाए जो भारतीय संविधान के अनुरूप न हो।
- सुगमकर्ता को यह भी ध्यान देना चाहिए कि मीडिया की प्रेस विज्ञप्ति को इस तरह से संक्षिप्त बनाया जाए की विधि प्रतिभागियों को बताई जा सके।

तृतीय दिवस - द्वितीय सत्र

आपदा प्रबन्धन में सम्बन्धित विभागों की भूमिका

उद्‌देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विभागीय समन्वय एवं अभिसरण विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
- आपदा प्रबन्धन में सम्बन्धित विभागों को चिन्हित करना एवं उनके दायित्वों के विषय में प्रतिभागियों को चर्चा एवं उनके जनपद के अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए विचार–विमर्श कर एक समुचित विभागीय समन्वय का आधार बनाना।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- सामूहिक चर्चा के द्वारा विकास में विभिन्न इकाईयों की भूमिका का उल्लेख।
- आपदा में सम्बन्धित विभागों के आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात् योगदान पर प्रतिभागियों के अनुभव का आदान–प्रदान।
- जोखिम न्यूनीकरण में विभागीय समन्वय एवं अभिसरण का योगदान व चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी को आपदा के जोखिम न्यूनीकरण में सम्बन्धित विभागीय एवं अभिसरण के योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करना।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों से उनके अपने जनपद में आपदा के दौरान सम्बन्धित विभागों के समन्वय से सम्बन्धित चर्चा करने से प्रतिभागियों में प्रशिक्षण के प्रति अभिरूचि बढ़ेगी इसका ध्यान रखना चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों से विकास में विभिन्न इकाईयों के योगदान की जानकारी प्राप्त कर बोर्ड पर लिखते जाना।
- उन इकाईयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की भूमिका पर चर्चा।

तृतीय दिवस - तृतीय सत्र

आपदा में प्राथमिक चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से जीवन रक्षा एवं क्षति न्यूनीकरण की व्यवस्था जान पाएंगे।
- प्राथमिक चिकित्सा का महत्व एवं विभिन्न आपदाओं में उसका उपयोग बरती जाने वाली सावधानियाँ समझ पाएंगे।
- मानव शरीर का विभिन्न प्रकार के दुर्घटना एवं आपदा के समय प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर लाने की विधि प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे की जाती है, समझ पाएंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- प्राथमिक चिकित्सा के विषय में जानकारी एवं उसका प्रयोग प्रतिभागियों के जीवन में अगर हुआ हो तो उसके विषय में चर्चा करना एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा की विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारित प्राथमिक चिकित्सा पर विचार–विमर्श एवं क्षमता संवर्द्धन।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को आपदा के दौरान जीवन रक्षण में समझा जा सकेगा।
- प्रतिभागी की प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी में संवर्द्धन होगा।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा विषय का उदाहरण सटीक एवं समय के अनुकूल हो तथा इसके प्रति प्रतिभागियों की अभिरूचि बढ़े।
- प्राथमिक चिकित्सा के विषय में भ्रांतियों को मिटाते हुए प्रशिक्षण को वैज्ञानिक बनाना चाहिए।

तृतीय दिवस - चतुर्थ सत्र

प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बुलेंस, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं मॉकड्रिल

उद्‌देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- आपदा के समय होने वाली घटनाओं की प्राथमिक चिकित्सा के सैद्वान्तिक व व्यवहारिक तकनीक से अवगत होंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- 11वीं बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 भारत सरकार की टीम के द्वारा विभिन्न आपदाओं के दौरान प्राथमिक चिकित्सा की सैद्वान्तिक जानकारी प्रदान की जायेगी।
- उपरोक्त टीम के द्वारा प्रतिभागियों को आपदाओं के दौरान विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा की व्यवहारिक जानकारी उदाहरणों के द्वारा प्रदान की जाएगी।

प्रक्रिया :–

- एन0डी0आर0एफ0 के आपदा बचाव विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुतिकरण व चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागियों को प्राथमिक चिकित्सा के सैद्वान्तिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्राथमिक चिकित्सा के समय किन–किन बातों पर विशेष सावधानियां बरतनी है तथा कैसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी है इन विषयों पर सैद्वान्तिक प्रस्तुतिकरण के पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी से व्यवहारिक क्रियाकलाप भी कराया जाये।

तृतीय दिवस - पंचम सत्र

राज्य आपदा मोचक निधि एव राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि, निर्माण, प्रक्रिया एवं व्यवहारिक ज्ञान पर चर्चा, अंकेक्षण हेतु निर्देश

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- आपदा मोचक निधि के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानक के विषय में वर्ष 2015 से 2020 तक के प्रावधानों के विषय में ज्ञानवर्धन।
- आपदा के पश्चात् राहत मदों के वितरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्रदत्त वित्तीय नियमों के पालन संबंधित अध्याय पर विवेचना।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- आपदा के पश्चात् सहायता हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि एवं राज्य आपदा मोचक निधि के विषय में चर्चा एवं जनपद स्तर पर वितरण संबंधी आई कठिनाइयों के विषय में भी चर्चा प्रतिभागियों के साथ तथा पुनः इसके निराकरण संबंधी बातचीत से यह विषय रोचक बनाया जा सकता है।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. के विभिन्न प्रावधानों के विषय में चर्चाएं।
- राज्य सरकार द्वारा राहत हेतु जिन आपदाओं को जोड़ा गया है उसके विषय में चर्चा तथा विचार–विमर्श।

प्रकिया :–

- एन.डी0आर0एफ0 एस.डी.आर.एफ. के द्वारा सहायता हेतु मदों के मापदण्ड पर चर्चा एवं प्रतिभागियों के व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर इस विषयवस्तु को रोचक बना सकता है।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण व चर्चा से प्रतिभागियों को विभिन्न प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान किया जाना वांछित है।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्र आपदा मोचक निधि के विभिन्न प्रावधानों से परिचित होंगे तथा आपदा के पश्चात् सरकार के जन उपयोगी जनहित में किए गए कायों में हांथ बंटाने में सहायक होंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न प्रावधानों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें तथा व्यवहारिक क्षेत्र समस्याओं को भी अपनी प्रस्तुति में शामिल करते हुए इसे सुरूचिपूर्ण बनाएं।

तृतीय दिवस - षष्ठम् सत्र

आपदा में खोज एवं बचाव, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं मॉकड्रिल

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं में खोज बचाव द्वारा जीवन रक्षण सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान साथ ही उदाहरण स्वरूप बाढ़ से बचाव हेतु विभिन्न तरीकों को समझनें में सक्षम होंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- 11वीं बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 भारत सरकार की टीम के द्वारा बाढ से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर वार्ता की जायेगी।
- उपरोक्त टीम के द्वारा बाढ से बचाव के विभिन्न पहलुओं एवं सावधानियों पर व्यवहारिक तरीके से प्रकाश डाला जायेगा।

प्रकिया :–

- पावर प्वाइंट द्वारा विषय–वस्तु को प्रस्तुतिकरण व चर्चा।
- बाढ़ के बचाव के विभिन्न उपकरणों एवं उसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।
- प्रतिभागियों को व्यवहारिक जानकारी प्रशिक्षण हेतु कहीं बाहर एक सुरक्षित स्थान पर आयोजित किया जायेगा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी बाढ़ से बचाव के विभिन्न उपकरणों एवं विधियों से अवगत हो पायेंगे एवं बाढ आपदा के समय इस सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक जानकारी का लाभ उठा पायेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- पहले सैद्धान्तिक रूप से बाढ से बचाव के विभिन्न तथ्यों को बताया जाये।
- बाढ़ से बचाव के तरीके एवं बचाव उपकरणों के प्रयोग के बारे में व्यवहारिक रूप से जानकारी प्रदान की जाये।

चतुर्थ दिवस - प्रथम सत्र

आपदा के उपरान्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक विषय पर विशेष प्रशिक्षण

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- ➢ आपदा के उपरान्त मनो–वैज्ञानिक उपचार के महत्व से प्रतिभागी अवगत होंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- ➢ पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- ➢ चर्चा एवं संक्षेपण

प्रक्रिया :–

- ➢ विभिन्न प्रकार की आपदा को प्रदर्शित करना।
- ➢ किन आपदाओं में किस प्रकार की मनो–वैज्ञानिक परेशानियां आती हैं इस पर चर्चा करना।

सत्र परिणाम :–

- ➢ मनो–वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा इसके उपचार तथा समाज के पुनःनिर्माण में मनो–सामाजिक का योगदान।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- ➢ प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आपदाओं, उसका मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रभाव तथा उपचार से सम्बन्धित विषयों पर व्यवहारिक व सैद्वान्तिक चर्चा करना।
- ➢ सुगमकर्ता को उदाहरण देकर बच्चों से सम्बन्धित आपदा के उपरान्त हुए मानसिक आघात का उदाहरण लेकर प्रतिभागियों को बताया जाना चाहिए।
- ➢ प्रस्तुतिकरण के दौरान चर्चा को रोचक बनाये रखें।

चतुर्थ दिवस - द्वितीय सत्र

समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण, ग्राम आपदा प्रबन्धन के विभिन्न कार्यदल निर्माण पर चर्चा

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण के विभिन्न चरणों से परिचय।
- समुदाय आधारित ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण विधि एवं विभिन्न कार्यदलों का निर्माण प्रक्रिया के विषय में ज्ञानवर्धन।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- सर्व प्रथम ग्रामीण स्तर पर किसी भी आपदा से संबंधित अनुभवों के प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करना।
- उसके उपरान्त आपदा प्रबन्धन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन–कौन से कार्यदल हो सकते हैं पर चर्चा और सर्वसम्मति से कार्य दलों का कार्य/जिम्मेदारी।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा प्रबन्धन में योजना निर्माण एवं कार्य दल निर्माण।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी के द्वारा ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण के विषय में ज्ञान संवर्द्धन।
- प्रतिभागियों के द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न कार्यदलों से सम्बन्धित जिम्मेदारियों के विषय में ज्ञान संवर्धन।
- ग्राम आपदा प्रबन्धन द्वारा आपदा न्यूनीकरण के विषय में ज्ञान संवर्धन।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता को सर्वप्रथम प्रतिभागियों से उनके खुद के ग्रामीण क्षेत्र की आपदाओं के नुकसान के विषय में पूछना चाहिए तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों के जवाबी कार्यवाही के विषय में चर्चा करनी चाहिए ताकि प्रतिभागियों की संवेदनशीलता बढ़े एवं वे ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना के विषय में जानकारी लेने हेतु एकाग्रचित हों। साथ ही साथ विभिन्न कार्यदलों के निर्माण एवं मॉक ड्रिल की प्रक्रिया से जानमाल की क्षति को कम करने की विधि जान सकें।

चतुर्थ दिवस - तृतीय सत्र

पी0आर0ए0/पी0एल0ए0/समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- पी.आर.ए एवं पी.एल.ए. के माध्यम से योजना निर्माण एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में समुदाय आधारित योजना निर्माण की विधि से परिचित कराना।
- पी.आर.ए एवं पी.एल.ए. के महत्व एवं उपयोगिता से प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रक्रिया :–

- सर्वप्रथम पी.आर.ए./पी.एल.ए. के उद्गम संबंधी चर्चा से प्रतिभागियों को इसके विषय में जानकारी संवर्द्धन।
- योजना के विभिन्न आयाम टॉप टू बॉटम एवं बॉटम टू टॉप के विषय में चर्चा एवं इसके लाभ और हानि पर विचार–विमर्श।
- पी.आर.ए./पी.एल.ए. के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण पर चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागियों के पी.आर.ए./पी.एल.ए. के विषय में योजना निर्माण विधि का ज्ञान संवर्द्धन।
- प्रतिभागियों द्वारा पी.आर.ए/पी.एल.ए. की मदद से बनी योजना की सफलता का ज्ञान।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सुगमकर्ता को प्रतिभागियों के साथ सर्वप्रथम पी.आर.ए./पी.एल.ए. के विषय में जो जानकारी प्राप्त है, समझते हुए अपने प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता के साथ पी.आर.ए./पी.एल.ए. विधि को उदाहरण स्वरूप बताना श्रेयस्कर होगा।

चतुर्थ दिवस - चतुर्थ सत्र

क्षेत्र भ्रमण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना का प्रायोगिक निर्माण

उद्देश्य :–क्षेत्र भ्रमण के अन्त में –

- प्रतिभागी द्वारा भ्रमण किये गये क्षेत्र के संवेदनशीलता के दृष्टिगत एवं क्षेत्र के मौसमी चित्रण और चपाती चित्रण के माध्यम से ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

समय :– 180 मिनट

पद्धति :–

- क्षेत्र भ्रमण
- समूह चर्चा।

प्रकिया :–

- प्रतिभागियों के द्वारा चयनित ग्राम में बस के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रतिभागियों के निर्मित चार समूहों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा।
- प्रतिभागियों द्वारा उनको आवंटित किये गये विषयों के अनुसार समुदाय से विभिन्न आपदाओं, पूर्व में घटित आपदाओं, मौसमी आपदाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के विषय पर चर्चा करते हुए सूचना एकत्र करना।

सत्र परिणाम :–

- क्षेत्र भ्रमण में प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाकर प्रतिभागी अपने जिले से सम्बन्धित प्रभावी जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने में सक्षम होंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- क्षेत्र भ्रमण के दौरान चारों समूह को समुदाय के ओर से एक–एक प्रतिनिधि उपलब्ध करा दिया जाये।
- समय–सीमा के अन्दर ग्राम भ्रमण एवं अध्ययन कर एक निश्चित स्थान पर वापस आ जायें।
- सुगमकर्ता द्वारा चारों समहों में बारी–बारी से उनके कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली जाये व समुदाय एवं संसाधन के साथ फोटोग्राफी करायी जाये।

पंचम दिवस - प्रथम सत्र

जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हेतु सावधानियों के मापदण्ड, अपशिष्ट प्रबन्धन)

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- ➢ जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में आपदा प्रबन्धन के स्वरूप को समझ सकेंगे।
- ➢ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से कानूनी कार्यवाही समझ सकेंगे।
- ➢ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के विषय में भी विचार–विमर्श के माध्यम से ज्ञान संवर्द्धन।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- ➢ पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- ➢ चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- ➢ जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं इस पर प्रतिभागियों के विचार आमंत्रित करे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के विषय में प्रतिभागियों की समझ को देखते हुए चर्चा के माध्यम से ज्ञान संवर्द्धप किया जाना चाहिए।
- ➢ विचारों को संकलित कर संक्षेपण में प्रस्तुतिकरण को जोडें।
- ➢ पावर प्वाइंट द्वारा विषय–वस्तु का प्रस्तुतिकरण।
- ➢ समूह चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- ➢ आपदा प्रबन्धन में जलवायु परिवर्तन की भूमिका से अवगत हो सकेंगे।
- ➢ प्रतिभागी जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन से सम्बन्धित विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित कर पाएंगे।
- ➢ प्रतिभागी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आवश्यकता एवं जलवायु रोकने हेतु निभाई जाने वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका समझ पाएंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- ➢ प्रतिभागियों से जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा प्रबन्धन प्रभावित होने के विषय पर चर्चा करें।
- ➢ सुगमकर्ता को प्रतिभागियों के साथ जलवायु परिवर्तन से हो रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करा कर जलवायु के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य करना चाहिए।
- ➢ सुगमकर्ता जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु किए जाने वाले सामुदायिक प्रयासों पर भी जनपद स्तर पर किए गए प्रयासों के प्रति निभाई गयी प्रतिभागियों की भूमिका का अनुभव विचार–विनिमय के दौरान लेते रहना चाहिए।
- ➢ सुगमकर्ता प्रतिभागियों से जनपद स्तर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जिससे जलवायु परिवर्तन की ऋणात्मक कार्यों पर लिए गए निर्णय पर भी चर्चा करनी चाहिए।

पंचम दिवस - द्वितीय सत्र

आपदा प्रबन्धन में सैण्डई फ्रेमवर्क एवं जेण्डर इश्यूज़

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जेण्डर की प्रतिभागिता तथा विभागीय समन्वय एवं अभिसरण विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- सामूहिक चर्चा के द्वारा विकास में विभिन्न इकाईयों की भूमिका का उल्लेख।
- आपदा में जेण्डर का योगदान।
- जोखिम न्यूनीकरण में जेण्डर, विभागीय समन्वय एवं अभिसरण का योगदान व चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- प्रतिभागी को आपदा के जोखिम न्यूनीकरण में जेण्डर, विभागीय एवं अभिसरण के योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करना।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- सभी प्रतिभागियों से विकास में विभिन्न इकाईयों के योगदान की जानकारी प्राप्त कर बोर्ड पर लिखते जाना।
- उन इकाईयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की भूमिका पर चर्चा।

पंचम दिवस - तृतीय सत्र

दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली (आई0आर0एस0), भीड़, भगदड़ नियन्त्रण प्रबन्धन, मानव जनित आपदाओं, आधुनिक आपदाओं के परिक्षेत्र में विस्तृत चर्चा

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- दुर्घटना प्रतिक्रियात्मक प्रणाली (IRS) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- प्रस्तुतिकरण के द्वारा दुर्घटना प्रतिक्रियात्मक प्रणाली (IRS) की विभिन्न इकाईयों पर प्रकाश डालते हुए सम्पूर्ण IRS सिस्टम के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराना है।

सत्र परिणाम :–

- दुर्घटना प्रतिक्रियात्मक प्रणाली (IRS) के विभिन्न इकाईयों की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिभागियों को प्राप्त हो जाएगी।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- प्रतिभागियों को दुर्घटना प्रतिक्रियात्मक प्रणाली (IRS) के विभिन्न इकाईयों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

पंचम दिवस - चतुर्थ सत्र

जी0 आई0 एस0, आई0 डी0 आर0 एन0 की आपदा प्रबन्धन में भूमिका

उद्देश्य :– सत्र के अन्त में प्रतिभागी–

- ➢ सुदूर संदेशन का उपयोग करते हुए आपदा के बाद प्रति उत्तर, बचाव एवं राहत कार्य के सम्पादन में सक्षम होंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- ➢ पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- ➢ चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- ➢ रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के विषय–विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुतिकरण व चर्चा के माध्यम से आपदा के उपरान्त राहत, बचाव एवं प्रति उत्तर में सुदूर संदेशन का प्रयोग करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाये।

सत्र परिणाम :–

- ➢ आपदा के उपरान्त राहत, बचाव एवं प्रति उत्तर में सुदूर संदेश के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रतिभागी अवगत हो जायेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- ➢ प्रतिभागियों को सैद्वान्तिक व व्यवहारिक तरीके से आपदा के उपरान्त राहत, बचाव एवं प्रति उत्तर में सुदूर संदेश के प्रयोग के बारे में बताया जाये।

पंचम दिवस - पंचम सत्र

समूह प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण ज्ञान का आंकलन, प्रशिक्षणकर्ता के उद्‌गार

उद्‌देश्य :– सत्र के अन्त में –

- प्रतिभागी ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप से परिचित हों जायेंगे।

समय :– 60 मिनट

पद्धति :–

- पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- प्रतिभागियों द्वारा आवंटित विषय का प्रस्तुतिकरण।
- समूह चर्चा।
- संक्षेपण।

सत्र परिणाम :–इस सत्र के अन्त में प्रतिभागी –

- ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप से भली–भांति परिचित हो जायेंगे।
- ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाये इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत हो जायेंगे।

सुगमकर्ता के ध्यान रखने योग्य बातें :–

- ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करते हुए प्रतिभागियों से सभी पहलुओं पर चर्चा करते रहे तथा उनके अनुभव के अनुसार कार्ययोजना को सुगमतापूर्वक निर्माण करने के बिन्दुओं पर चर्चा करें।
- यह सुनिश्चित कर ले कि प्रतिभागियों के प्रस्तुतिकरण पहले से तैयार हों।

पंचम दिवस - षष्ठम् सत्र

फीडबैक, मूल्यांकन एवं सत्र समापन

उद्देश्य :–

- सभी प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त कर उसके आधार पर अपेक्षाओं के अनुरूप प्राप्त की गयी उपलब्धि पर चर्चा।
- प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन।
- प्रतिभागियों द्वारा अपने संस्थानों में प्रस्तावित सत्रों के संचालन में संभावित कठिनाइयों पर चर्चा।

समय– : 01 घण्टा 15 मिनट

पद्धति :–

- भाषण
- फीडबैक प्रपत्र का वितरण।
- प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रों का वितरण।
- चर्चा एवं संक्षेपण

प्रकिया :–

- संस्थान द्वारा आमंत्रित अतिथि द्वारा सत्र का समापन उद्बोधन।
- प्रतिभागियों से प्रशिक्षण उद्देश्य की पूर्ति पर चर्चा।

सत्र परिणाम :–

- सत्र समापन, फीडबैक प्रारूप प्राप्ति।
- फीडबैक के आधार पर विश्लेशण।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

द्वारा

राहत आयुक्त संगठन/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के सौजन्य से

आपदा प्रबन्धन पर प्रथम प्रत्योत्तरदाता का पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिभागी समूह– तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार (जूडिशियल), सहायकर प्रशासनिक अधिकारी (ए0ए0ओ0), मुख्य राजस्व सहायक (सी0आर0ए0) एवं कानूनगो

प्रशिक्षण के बैच में प्रतिभागियों की संख्या – 30 प्रति बैच (दो बैच)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक/दिवस	सत्र संख्या	समय	विषय
प्रथम दिवस	–	09:30	**पंजीकरण एवं उद्घाटन**
	01	11:00	स्वयं परिचय/प्रतिभागियों का आपदा विषय के क्षेत्र में ज्ञान मूल्यांकन/प्रशिक्षण के विषय से संक्षिप्त परिचय एवं प्रतिभागियों से अपेक्षायें
	02	11:30	आपदा प्रबन्धन के सामान्य अवधारणायें, देश एवं राज्य सम्बन्धित संवेदनशीलता
पूर्वाह्न	03	12:30	आपदा के प्रकार, क्या करें? क्या न करें? बाढ़ पूर्व, दौरान एवं पश्चात्–एक चर्चा
अपराह्न	–	01:30	**भोजन**
	04	02:30	आपदा प्रबन्धन एक्ट, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
	05	03:30	एच.आर.वी.सी. विश्लेषण की अवधारणा एच.आर.वी.सी. विश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपकरण/ तकनीक
	06	04:30	प्रथम प्रत्योत्तरदाता एव ग्राम आपदा प्रबंधन योजना क्या है हमें ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता क्यों है कौन इसे विकसित कर सकता है प्रथम प्रत्योत्तरदाता (लेखपाल) की भूमिका

द्वितीय दिवस पूर्वाह्न		09:30	**पूर्वालोकन**
	01	10:00	सूखा के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका
	02	12:00	अग्नि आपदा प्रबन्धन विषय में विशेष प्रशिक्षण
अपराह्न	—	01:30	**भोजन**
	03	02:30	भूकम्प के विषय में विस्तृत चर्चा एवं विभिन्न सहभागियों की भूमिका
	04	03:15	प्रशिक्षण के कौशल ज्ञान एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण
	05	04:30	नेतृत्व्य विकास में कुशल प्रशिक्षक के गुणों पर चर्चा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मानक
तृतीय दिवस पूर्वाह्न	—	09:30	**पूर्वालोकन**
	01	10:00	आपदा प्रबन्धन में राज्य सरकार के विभागों का समन्वय, मीडिया, जन प्रतिनिधियों से समन्वय सम्बन्धी विशेष व्यवहारिक ज्ञान
	02	11:00	आपदा प्रबन्धन में पशुपालन विभाग की भूमिका
	03	12:00	आपदा में प्राथमिक चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण
अपराह्न	—	01:30	**भोजन**
	04	02:30	प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बुलेंस, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं छद्म अभ्यास
	05	03:30	राज्य आपदा मोचक निधि एव राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि, निर्माण, प्रक्रिया एवं व्यवहारिक ज्ञान पर चर्चा, अंकेक्षण हेतु निर्देश
	06	04:30	आपदा में खोज एवं बचाव, एस0डी0 आर0 एफ, सिविल डिफेन्स द्वारा हैण्डऑन ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल
चतुर्थ दिवस पूर्वाह्न	—	09:30	**पूर्वालोकन**
	01	10:00	आपदा के उपरान्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक विषय पर विशेष प्रशिक्षण
	02	11:00	समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण, ग्राम आपदा प्रबन्धन के विभिन्न कार्यदल निर्माण पर चर्चा
	03	12:00	पी0आर0ए0 / पी0एल0ए0 / समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन एवं गाम आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण हेतु कौशल विकास एवं प्रतिभागियों का समूह विभाजन
अपराह्न	—	01:30	**भोजन**
	—	02:30	क्षेत्र भ्रमण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना का प्रायोगिक निर्माण
पंचम दिवस पूर्वाह्न	—	09:30	**पूर्वालोकन**
	01	10:00	जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन (नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल हेतु सावधानियों के मापदण्ड, अपशिष्ट प्रबन्धन)
	02	11:00	आपदा प्रबन्धन में सिंचाई विभाग की भूमिका
	03	12:00	दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली (आई0आर0एस0), भीड़, भगदड़ नियन्त्रण प्रबन्धन, मानव जनित आपदाओं, आधुनिक आपदाओं के परिक्षेत्र में विस्तृत चर्चा
अपराह्न	—	01:30	**भोजन**
	04	02:30	जी.आई.एस., आई.डी.आर.एन.की आपदा प्रबन्धन में भूमिका
	05	03:15	समूह प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण ज्ञान का आंकलन, प्रशिक्षणकर्ता के उद्गार

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ०प्र०

बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ–226202

E-mail: ddusird-up@nic.in ; Website : www.sirdup.in

मुद्रक : स्वास्तिका प्रिन्टवेल इंडिया प्रा. लि., 33 कन्ट रोड, लखनऊ। वर्ष 2019–20 – 200 प्रतियाँ